न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 26/2017

निर्णय दिनांक:– 05/07/2017

देवकरण पुत्र श्री कल्याण जाति गुर्जर निवासी ग्राम नोनन्दपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर ।

प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील वादी

–:: घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 05.07.2017

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि खाता संख्या 34 के ख0न0 202/5 रकबा 15 बीघा भूमि वाके ग्राम नोनन्दपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसका वादी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की उपरोक्त आराजी वादी को दिनांक 28.10.1972 को अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा अलाट किया गया था तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी देवकरण पुत्र कल्याण के स्थान पर देवकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण गलत दर्ज कर दिया गया। क्योकि वादी के पिता को गॉव मे लक्ष्मीनारायण के नाम से बोलते थे तथा दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम कल्याण दर्ज है एवं वादी के भी समस्त कागजात यथा राशन कार्ड आधार कार्ड, वोटर आई डी, जॉब कार्ड आदि में वादी के पिता का नाम कल्याण सही दर्ज है। वादी को अपनी उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर विकास कार्य व आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। ग्राम नोन्दपुरा में देवकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। देवकरण पुत्र कल्याण एकमात्र वादी देवकरण ही अपने पिता के बोलते नाम लक्ष्मीनारायण का पुत्र है। वादी ने अनेको बार हल्का पटवारी व तहसीलदार फागी को मौखिक एवं लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन वादी के गलत इन्द्राज को आज तक सही नही किया गया। अभी हाल ही में दिनांक 03.04.2017 को वादी ने तहसीलदार फागी के यहॉ व्यक्तिशः हाजिर होकर गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तो तहसीलदार फागी ने वादी को कहा कि सक्षम न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार..................2

से आदेश लेकर आओ तब ही गलत इन्द्राज दुरूस्त होगा। वादी का वाद कारण दिनांक 03.04.2017 को तब उत्पन्न हुआ जब तहसीलदार फागी ने वादी को कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा। वाद को सुननें व निस्तारण करने का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। तहसीलदार फागी ने जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तनकीयात कायम की गई। तनकीयात के बिन्दु पैरा बाईज निम्न से कायम की गई।

1. आया वादी को दिनांक 28.10.1972 को ख0न0 202/5 रकबा 15 बीघा भूमि अलाटमेन्ट की गई थी जिसमें वादी देवकरण पुत्र कल्याण के स्थान पर देवकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण गलत दर्ज हो गया।

वादी

2. आया देवकरण पुत्र कल्याण व देवकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण एक ही व्यक्ति है इसलिये राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर देवकरण दुरूस्त करवाने व घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी

3. आया ख0न0 202/5 रकबा 15 बीघा भूमि देवकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण को अलाट की गई थी।

प्रतिवादी

साक्ष्य हेतु वादी ने स्वंय व तुलसीराम पुत्र भूरा जाति गुर्जर, रामकरण पुत्र कल्याण जाति गुर्जर के शपथ पत्र पेश किये जो शमिल मिसल किये गये तथा अपने शपथ पत्रों में देवकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान देवकरण पुत्र कल्याण दुरूस्त करने बाबत पेश किया।

बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यो के दौहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा अवलोकन करने पर पत्रावली मे संलग्न वादी के दस्तावेजो की छायाप्रति वोटर आईडी, आधार कार्ड मे वादी के पिता का कल्याण अंकित है। तथा ग्राम पंचायत दौसरा द्वारा दिनांक 05.4.2017 को जारी प्रमाण पत्र में देवकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण व देवकरण पुत्र कल्याण दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया हैं तथा वादी ने वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070 – 2073 वाके

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार.....................3

ग्राम नोनन्दपुरा में खाता संख्या 34 में देवकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम गुर्जर सा0देह दर्ज रिकार्ड है। तथा वादी अपने वाद में कायम की गई तनकीयात को पुर्णतः सिद्व करने में सफल रहा हैं उपरोक्त तथ्यो में प्रकाश में हम वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते हैं

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 34 के ख0न0 202/5 रकबा 15 बीघा भूमि वाके ग्राम नोनन्दपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन देवकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर देवकरण पुत्र कल्याण दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार फागी को आदेश दिये जाते है। तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/07/2017 को फोलोप कैम्प में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

देवकरण पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी ग्राम नोनन्दपुरा तह0 फागी जिला जयपुर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर ।

उपखण्ड अधिकारी, फागी ★ जिला–जयपुर ★

:– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती :–

मुकदमा नं0 – 26/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 34 के ख0न0 202/5 रकबा 15 बीघा भूमि वाके ग्राम नोनन्दपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन देवकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर देवकरण पुत्र कल्याण दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार फागी को आदेश दिये जाते है। तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05/07/2017 को जारी की गई।

दस्तखत..................

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

मुहर

ओहदा..................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर